राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल याचिका संख्या 6032/2019

पन्ना लाल पुत्र श्री लाल जी, उम्र लगभग 63 वर्ष, निवासी गोरखा इमली, प्रथ्वीगंज, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बांसवाड़ा, राजस्थान।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति छोटी सरवन, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।
4. लोकपाल, महात्मा गांधी नरेगा, जिला परिषद, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : सुश्री सौम्या चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री राजदीप सिंह चौहान,

श्री मनीष टाक, डेप्युटी जी.सी. के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>16/05/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत दिनांक 15.02.2016 के आदेश (अनुलग्नक 12) से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी रोककर उसके खिलाफ वसूली का आदेश दिया गया था और दिनांक 31.07.2017 के एक संचार (अनुलग्नक 15) के अनुसार, जिसके तहत लोकपाल के दिनांक 16.02.2016 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता की ग्रेच्युटी से 3,41,850/- रुपये जब्त कर लिए गए थे। इसके अलावा, वह प्रतिवादियों को ब्याज सहित ग्रेच्युटी की पूरी राशि जारी करने का निर्देश चाहता है।

2. मामले में प्रस्तुत प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को शुरू में बेलदार के पद पर नियुक्त किया गया था। 30.10.2000 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता

को ग्राम सेवक (सचिव) के पद पर नियमित किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत गागरवा, सरवन, पंचायत समिति बांसवाड़ा (पहले गागरवा समिति पीपल खूंठ, जिला प्रतापगढ़ का छोटा ग्राम था) में स्थानांतरित कर दिया गया और उसने मार्च, 2009 में ग्राम सेवक (सचिव) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया।

2.1. याचिकाकर्ता, जो दिनांक 30.11.2015 को ग्राम सेवक पदेन सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, की पेंशन से वसूली के संबंध में विवाद तत्कालीन सरपंच (श्रीमती सुकना देवी) और उनके पति (अर्थात श्री प्रभु लाल, जो ठेकेदार हैं और प्रभुलाल कृषि फार्म सामग्री आपूर्तिकर्ता के प्रोपराइटर भी हैं) द्वारा याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से ठीक एक माह पूर्व दायर की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुआ था। सरपंच के पति (श्री प्रभु लाल) ने लोकपाल मनरेगा, बांसवाड़ा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि वर्ष 2007-2008 और 2008-2009 की अवधि के लिए उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के विरुद्ध 34 बिलों (कुल राशि रु. 9,20,954/-) का बकाया भुगतान उन्हें जारी नहीं किया गया है।

2.2. प्रतिवादी-लोकपाल ने याचिकाकर्ता को दिनांक 23.10.2015 को एक पत्र जारी कर शिकायत (शपथ पत्र) में लगाए गए आरोपों के खिलाफ जवाब दाखिल करने को कहा । याचिकाकर्ता ने अपना जवाब दाखिल किया और अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया।

2.3. इसके बावजूद, लोकपाल ने दिनांक 15.02.2016 को आक्षेपित आदेश पारित किया जिसके तहत विकास अधिकारी को याचिकाकर्ता से पूरी राशि वसूलने का निर्देश दिया गया। इस पर एक आदेश के तहत याचिकाकर्ता से 3,41,850/- रुपए की वसूली की गई।

2.4. याचिकाकर्ता ने अधिकारियों के समक्ष विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को एक कानूनी नोटिस भी भेजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए, तत्काल रिट याचिका दायर की गई।

3. जवाब में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी बचाव किया गया है कि लोकपाल द्वारा भी जांच की गई थी और जांच रिपोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ता को निम्नलिखित अनियमितताओं का दोषी पाया गया था:-

i. मनरेगा निर्माण कार्यों के लिए आपूर्ति की गई सामग्री के लिए प्रस्तुत बिलों से फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर भुगतान वापस लेना।

ii. ग्राम पंचायत, गागरवा की पुस्तकों में धनराशि का दुरुपयोग करते हुए बताया गया कि कुल 34 बिलों की राशि 7,95,850/- रुपये तक का पूर्ण भुगतान दिखाया गया था, जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त राशि में से केवल 4,54,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। यह बात बैंक से प्राप्त ग्राम पंचायत के खातों की प्रतियों से भी प्रमाणित होती है।

iii. संदिग्ध बिल प्रस्तुत करने पर न तो तारीख अंकित थी और न ही यह स्पष्ट था कि किसे भुगतान किया जा रहा है। इनमें से किसी भी बिल पर संबंधित सचिव या सरपंच के हस्ताक्षर नहीं थे।

इसके बाद लोकपाल का आक्षेपित आदेश पारित किया गया। परिणामस्वरूप, आक्षेपित वसूली आदेश कानून के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं और मामले के रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-लोकपाल को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था कि सरपंच और उसके पति द्वारा कथित भुगतान न किए जाने के 07-08 वर्ष बाद शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर याचिकाकर्ता को परेशान करने के लिए की गई थी।

5.1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आरोप तत्कालीन सचिव-ओंकारमल दीक्षित, याचिकाकर्ता और तत्कालीन सरपंच मानसिंह मीना के खिलाफ लगाए गए थे, लेकिन लोकपाल ने पूरी जांच केवल याचिकाकर्ता पर केंद्रित कर दी और उसे दोषी घोषित कर दिया। जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। यहां तक कि याचिकाकर्ता की अपील भी प्रतिवादियों द्वारा अनिर्धारित रही।

5.2. यह भी तर्क दिया गया है कि वास्तव में, दिनांक 19.03.2009 के कार्यालय आदेश के तहत याचिकाकर्ता को तत्कालीन सरपंच, तत्कालीन सचिव ओंकार लाल दीक्षित और महावीर प्रसाद चंदेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। इस प्रकार याचिकाकर्ता के खिलाफ दायर शिकायत स्पष्ट रूप से प्रेरित थी।

5.3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया कि जब 2007 से 2009 की अवधि के लिए स्थानीय निधि लेखा परीक्षा और एजी ऑडिट किया गया था, उस समय लेखा परीक्षकों द्वारा कोई अनियमितता नहीं पाई गई थी। इसलिए,

लोकपाल को ऑडिट रिपोर्ट देखनी चाहिए थी। यह स्पष्ट है कि शिकायत सरपंच और उसके पति द्वारा याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से ठीक एक महीने पहले, घटना की तारीख से 08 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद बदले की भावना से की गई थी।

5.4. यह भी तर्क दिया गया है कि घटना का पंचनामा लोकपाल द्वारा 29.09.2015 को तैयार किया गया था और उसी दिन तत्कालीन सरपंच (यानी प्रतिवादी संख्या 05) के बयान भी दर्ज किए गए थे, दूसरी ओर सरपंच और उसके पति द्वारा बाद में 19.10.2015 को हलफनामा दायर किया गया था।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की उपरोक्त दलीलों के संबंध में कोई प्रतिवाद ध्यान देने योग्य नहीं है। मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों में पर्याप्त योग्यता है और इसलिए मैं उनसे सहमत हूं।

7. लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण ने बिना कोरम के ही विवादित आदेश पारित कर दिया। लोकपाल के समक्ष अपील की सुनवाई तभी हो सकती है जब अपीलीय प्राधिकरण का कोरम पूरा हो। इसलिए, केवल इसी आधार पर प्रतिवादी-लोकपाल के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

8. इसके मद्देनजर, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

9. आक्षेपित आदेश दिनांक 15.02.2016 (अनुलग्नक-12) और दिनांक 31.07.2017 (अनुलग्नक-15) के संचार को रद्द किया जाता है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को लागू सेवा नियमों के अनुसार ब्याज सहित सभी परिणामी लाभ बहाल करें।

10. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।